न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—190 सन् 2018

राज कुमार गुप्ता.....वादी

बनाम

आनंद प्रियदर्शी व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक— 18.05.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 23.01.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद में दिनांक 13.05.2019 को हाजिर हुए तथा अपना जवाब दिनांक 02.09. 2019 को दाखिल किए जो सी0पी0सी0 के प्रावधान 90 दिनों से बहुत ज्यादा है। अतः प्रतिवादीगण के जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रतिवादीगण के जवाब को अस्वीकृत कर दिया जाए।

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दिनांक 17.03.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी दिनांक 02.09.2019 को बयान तहरीरी दाखिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं किए। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को ही बयान तहरीरी स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद दिनांक 26.09.2019 को धारा 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत रखा गया। किसी भी पक्ष के द्वारा सुलहनामा स्वीकार नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा जो बयान तहरीरी स्वीकार किया गया है वादी के आवेदन पत्र के आलोक में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वादी दिनांक 02.09.2019 के आदेश से असंतुष्ट है तथा उस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के उपर के न्यायालय में अपील कर सकता हैं।

अतः वादी का आवेदन दिनांक 23.01.2020 स्वीकार होने योग्य नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी की ओर से दिनांक 02.09.2019 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0 01, 02, 03, 04, 05 वो 08 दिनांक 13.05.2019 को प्रस्तुत वाद में नवीन वकलतनामा के साथ हाजिर हुए। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 02.09.2019 को बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। आदेश फलक के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विलंब से दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत किया गया है। अतः उपस्थित प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि विलंब से दाखिल बयान तहरीरी के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करें।

वाद दिनांक 29.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।